

जाँच सूची संख्या 8 प्रमाणपत्रों का खो जाना (पृष्ठ 1 का 1)

नहीं	आवश्यकताएं	हां/नहीं
1	डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जहाज के मालिक से आवेदन और किन परिस्थितियों में प्रमाण पत्र खो गया था	
1	निकटतम पुलिस स्टेशन में एफआईआर/हानि रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए तथा इसकी पावती भी दी जानी चाहिए। इसकी प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए। (एफआईआर/हानि रिपोर्ट में खोए गए प्रमाण पत्र का नाम और प्रमाण पत्र संख्या होनी चाहिए)	
2	विज्ञापन (नीचे दिए गए नमूना पाठ के अनुसार) दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना है, एक स्थानीय भाषा में और दूसरा दैनिक समाचार पत्रों की अंग्रेजी एवं मूल प्रति प्रस्तुत की जानी है। (विज्ञापन को हाइलाइट किया जाना है)	
3	<u>समाचार पत्रों में विज्ञापन के लिए नमूना पाठ)</u> <u>प्रमाणपत्र खो गया</u> हम, (मालिक का नाम और पिन कोड के साथ <u>पूरा डाक पता</u>, टेलीफोन और फैक्स नंबर और ई-मेल आईडी), (जहाज का नाम बड़े अक्षरों में) आधिकारिक संख्या () (पंजीकरण बंदरगाह) के मालिक होने के नाते निम्नानुसार बताते हैं। जहाज का (नाम / प्रमाण पत्र का शीर्षक) (लगभग दिनांक) से (लगभग स्थान) पर खो गया है / गायब है। यदि किसी को उक्त प्रमाण पत्र का पता है, तो कृपया हमें तुरंत बताएं / वापस करें। यदि प्रमाणपत्र नहीं मिलता है/प्राप्त नहीं होता है, तो हम भारतीय जहाज रजिस्ट्रार, एमएमडी, मुंबई से एक नया प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहते हैं। यदि किसी को कोई आपत्ति है, तो उसे इस विज्ञापन की तिथि से 10 दिनों के भीतर सूचित किया जा सकता है; भारतीय जहाज रजिस्ट्रार व्यापारिक समुद्री विभाग प्रतिष्ठा भवन, पंजाब नं. 11096, 101, एमकेरोड, मुंबई 400 020। टेलीफोन नंबर। 022 -2203 98 81 फैक्स 022- 2201 33 07। ईमेल : mumbai-mmd@gov.in	
4	यदि रजिस्ट्री प्रमाणपत्र खो गया है , तो उपर्युक्त के अतिरिक्त, एमएमडी द्वारा विधिवत रूप से समर्थित अंतिम कमांड परिवर्तन की प्रति तथा पोत के वर्तमान मास्टर के योग्यता प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।	

5	भारत कोष भुगतान रसीद रु. 2000/-	
---	---------------------------------	--

नोट: - चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न/संलग्न किए गए किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए। बिना पूर्वोक्त सत्यापन और मुहर के कोई भी दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।